

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) प्र.चा.प्र. सं. 26

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उपवाण
थासीन चौखण्ड बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत नाम.इ.दा. सं. 88RTA

मुकदमा नम्बर :- 116/2022

निर्णय दिनांक :- 10.06.2022

वादी की ओर से शर्चा की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.06.22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी सूचीका किया जाकर शही ग्राम बूड की खाली सं. 505 खं नं. 395 में थासीन चौखण्ड पुत्र चौड के स्थान पर थासीन चौखण्ड पुत्र चौड की जमीन की बाण्डा की जागी। वरतमान पर बूड वरतमान पर राजस्थान अभिलेख में अभिलेख करे। वदि के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है या सरकारी कार्रवाई की स्थिति में पूर्व नाम मान्य होगा

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.06.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़



चूरु नं.सं. → 3740 पर दर्ज है।